eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

लैंगिक हिंसाः एक अमानवीय कृत्य

[1]ऐश्वर्या सिंह
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र विभाग, नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ उ0प्र0

Received: 15 September 2023 Accepted and Reviewed: 25 September 2023, Published : 01 October 2023

Abstract

भारत एक पितृसत्तात्मक देश है। भारत में जेंडर आधारित असमानताओं की जड़े काफी गहरी है और इन असमानताओं ने अपना जड़ स्थाई रूप से जमा लिया है। यह असमानताएं लिंग आधारित हिंसा को बढ़ावा देती है। भारत में अनेक ऐसी समस्याएं हैं, जो महिलाओं से संबंधित है जैसे भ्रूण हत्या, लिंग आधारित गर्भपात, यौन तस्करी, पीछा किया जाना, दहेज प्रताड़ना, बाल विवाह, एसिड हमले और सबसे खतरनाक तो झूठे सम्मान के लिए हत्या करना जिसे ऑनर किलिंग भी कहा जाता है। भारत में ऐसे कानूनों की कमी नहीं है जो लैंगिक हिंसा से जुड़ी हुई है और जो इस दावे के साथ बनाई जाती है कि इन कानूनों से महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में कमी आएगी, किंतु यह सब कागजी बातें हैं जो कभी भी धरातल पर उतर ही नहीं पाती हैं। आज भी महिलाएं हर जगह हिंसा का शिकार हो रही है। यह हिंसा शारीरिक या मानसिक किसी भी रूप में हो सकती है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के अंतर्गत जेंडर आधारित लैंगिक हिंसा के सामाजिक आयामों का अध्ययन किया जाएगा तथा यह भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे कानून व्यवस्था से जुड़ी कमियां लैंगिक हिंसा की समस्या को बढ़ावा देती हैं। इस अध्ययन में यह भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि लैंगिक हिंसा किस प्रकार से महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रभावित करती है।

मुख्य बिंदु– लैंगिक हिंसा, लैंगिक हिंसा के सामाजिक आयाम, कानून व्यवस्था एवं नारी।

Introduction

लैंगिक हिंसा अथवा लिंग आधारित हिंसा से तात्पर्य उस हिंसा से है जिनके कारणों के मूल में किसी व्यक्ति की लैंगिक पहचान होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि, किसी व्यक्ति पर उसकी लैंगिक पहचान जैसे उसके महिला या ट्रांसजेंडर होने के कारण यदि कोई हिंसा की जाती है तो इस प्रकार की हिंसा को लैंगिक हिंसा कहते हैं। यह हिंसा किसी भी प्रकार की हो सकती है चाहे वह शारीरिक रूप में हो मानसिक रूप में हो अथवा मौखिक रूप में हो। सिमोन द बोउआर अपनी किताब 'द सेकंड सेक्स' में लिखा है, "कोई भी औरत पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है"।

हमारे देश में या यह कहें कि पूरे विश्व में धर्म और परंपरा मिलकर एक पूरे तंत्र का निर्माण करते हैं जिसमें पुरुष का स्थान सर्वोपरि होता है। पुरुष को यह अधिकार होता है कि वह धर्म और परंपरा के नाम पर महिलाओं या अन्य लिंग (ट्रांसजेंडर) के लोगों का शोषण कर सके। पुरुष को यह अधिकार होता है कि वह महिलाओं के सारे निर्णय ले क्योंकि पुरुष महिला का स्वामी होता है जिसका परिणाम लैंगिक हिंसा के रूप में हम सबके सामने आता है। लैंगिक हिंसा अनेक रूप में दृष्टिगोषित होती है जैसे कन्या भ्रूण हत्या, यौन तस्करी, महिलाओं का पीछा करना, दहेज हेतु महिलाओं की हत्या कर देना, बाल विवाह, एसिड हमला इत्यादि। भारत में प्रचलित पितृसत्तात्मक

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

सोच के कारण लड़कों को वंश चलाने वाला अथवा घर के दीपक की संज्ञा दी जाती है और लड़की को बचपन से ही या सिखाया जाता है कि वह पराया धन है उसे दूसरे के घर जाना है और उसी के अनुरूप उसे आचरण भी सिखाया जाता है। बचपन से ही माता–पिता लड़का और लड़की दोनों संतानों के साथ अलग–अलग व्यवहार करते हैं जो की कई बार जानबूझकर अथवा कई बार अनजाने में भी करते हैं और अनजाने में किया गया यह व्यवहार कहीं ना कहीं लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता–पिता लड़का और लड़की दोनों के लिए अलग –अलग खिलौना लेकर आते हैं जैसे लड़का के लिए क्रिकेट या फुटबॉल का सामान और लड़की के लिए किचन का सामान। ये बातें बचपन से ही उनके मन में बैठने लगती हैं कि लड़के बाहर का कार्य कर सकते हैं और लड़की केवल घर का कार्य कर सकती है जिससे दोनों के मन में यह भाव उत्पन्न होने लगता है कि कहीं ना कहीं लड़का श्रेष्ठ है, और लड़की श्रेष्ठ नहीं है। बचपन में अगर लड़का रोता है तो माता–पिता कहते हैं की चुप हो जाओ लड़की की तरह क्यों रो रहे हो तुम तो बहादुर हो, जिससे लड़के के मन में यह भाव उत्पन्न होने लगता है कि रोना सिर्फ लड़कियों का काम है लड़कों का नहीं और कहीं ना कहीं वह अपने आप को लड़की से श्रेष्ठ समझने लगता है। यह भी लैंगिक हिंसा के लिए जिम्मेदार होता है। लैंगिक हिंसा के ज्यादातर मामलों में हिंसा करने वाला अपराधी महिला का ही कोई परिचित पुरुष होता है। हमारे देश के सामाजिक ढांचे में जेंडर आधारित असमानताओं की जड़े काफी गहरी है और इनका स्वरूप भी काफी स्थाई एवं विस्तृत है। इसके मूल में कहीं ना कहीं पितृ सत्तात्मक परंपराओं और धार्मिक प्रवृत्ति की भूमिका है। यही सामाजिक ढांचा लैंगिक हिंसा को बढ़ावा देता है। पारंपरिक लैंगिक भूमिका महिलाओं से यह उम्मीद करती है कि वह सदैव पुरुषों के नियंत्रण में रहे। प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत लैंगिक हिंसा के प्रमुख सामाजिक आयामों एवं इससे संबंधित कानून होने के बाद भी लैंगिक हिंसा होने के कारणों का अध्ययन किया जाएगा।

लिंग आधारित हिंसा के सामाजिक आयाम – भारत एक पितृसत्तात्मक देश है और पितृसत्तात्मक समाज में ऐसी मान्यता होती है कि ताकत पर केवल पुरुषों का अधिकार एवं नियंत्रण होता है और पुरुष ही वंश परंपरा का उत्तराधिकारी होता है। पैत्रिक विरासत पर पुरुषों का ही अधिकार होता है, महिलाएं तो विवाह के बाद दूसरों के घर चली जाती हैं। अतः वह वंश परंपरा की उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। संभावित रूप से इसके कारण महिलाएं सामाजिक नुकसान को झेलने की स्थिति में होती है। हमारे समाज में किसी भी समुदाय में इज्जत और मर्यादा संस्कार का बोझ महिलाओं के ऊपर ही डाल दिया जाता है। यदि महिला के साथ हिंसा भी होती है खास तौर पर शारीरिक हिंसा तो उसके लिए उसे ही जिम्मेदार समझा जाता है। कहीं भी संघर्ष हो, युद्ध हो, सांप्रदायिक हमले हो, यहां इस बात का फायदा उठाकर महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। चाहे 2002 में गुजरात में हुए दंगे हो या मई 2023 में मणिपुर में हुई घटना हो। हर घटना में महिला ही हिंसा का शिकार होती है।

हमारे समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समूह की महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक लैंगिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। 2011 में माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप की एक रिपोर्ट के

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

अनुसार, "दलित महिलाएं अपनी जाति वर्ग और जेंडर के कारण तीनों स्तरों पर सामाजिक हीनता का बोझ उठाती हैं।

मुख्य रूप से उच्च वर्ग अथवा उच्च जाति से संपर्क रखने वाले पुरुष इन महिलाओं पर हिंसा करना या उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएं अक्सर ही सामाजिक उपेक्षा का शिकार होती है और उनके खिलाफ आपराधिक कृत को कुछ हद तक सामाजिक स्वीकृति प्रदान होती है। अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाहों के मामले में परिवार के सम्मान की रक्षा अथवा परिवार की गरिमा को बचाने या यह कहे कि झूठे सम्मान के खातिर की जाने वाली हत्याओं में कथित रूप से सम्मान की धारणा जोड़ी है जुड़ी है। यह ऑनर किलिंग के नाम से एक प्रथा के रूप में व्यापक स्तर पर प्रचलित हो चुकी है किंतु इसका कोई सामाजिक विरोध नहीं है और ना ही इसके खिलाफ कोई राष्ट्रीय कानून ही बना हुआ है।

हमारे समाज में ऐसी धारणा फैली हुई है कि अगर कोई महिला यौन हिंसा का शिकार होती है तो उन्हें ही इसका जिम्मेदार समझा जाता है और ऐसी महिलाओं के खिलाफ सामाजिक कलंक और शर्मिंदगी की भावना हमारे समाज में गहराई से जड़े जमा रहती हैं। यौन हिंसा का शिकार महिलाएं तो भेदभाव का शिकार होती ही हैं उनके परिवारों को भी सामाजिक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। जॉन हिंसा की शिकार महिला सामाजिक कलंक के दर से पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी रिपोर्ट भी दर्द नहीं करवाते हैं क्योंकि इस घटना में भी समाज उसी को जिम्मेदार समझता है। हमारे समाज में तलाकशुदा महिलाओं को भी अच्छी नजर से नहीं देखा जाता और इसमें भी महिला ही उपेक्षा का शिकार होती है। तलाकशुदा महिलाओं को पतीत माना जाता है और समाज में कलंकित समझा जाता है जिसके कारण परिवार भी अक्सर ही महिलाओं को हिंसक संबंधों में रहने के लिए बाध्य करते हैं। सामाजिक सहायता की कमी, अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी और आर्थिक जरूरत की लिए एक पुरुष पर निर्भरता इस मुद्दे को और भी गंभीर और जटिल बना देते हैं। तलाकशुदा महिलाओं को अक्सर ही चरित्रहीन कहा जाता है जिससे महिलाएं अत्यंत ही मानसिक पीड़ा का सामना करती हैं और उनके लिए न्याय तक पहुंचता रास्ता काफी कठिन हो जाता है।

लैंगिक हिंसा के कानूनी आयाम – लैंगिक हिंसा सामाजिक आयाम से प्रभावित होती है समाज की परंपराएं महिलाओं को इसके विरुद्ध आवाज उठाने से रोकती है। इसके साथ–साथ कानूनी सुधारों की भी आवश्यकता है क्योंकि कानूनी नियम कानून भी लैंगिक हिंसा को कम नहीं कर पा रहे हैं। 1972 का मथुरा बलात्कार मामला, 1997 का विशाखा मामला और 2012 में दिल्ली गैंगरेप मामला भारत के न्यायिक इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुए मामले थे, जिन्होंने यौन हिंसा के संबंध में भारतीय कानूनों में बदलाव किए हैं। लिंग पर आधारित हिंसा से पीड़ित महिलाओं को राहत देने के लिए कुछ कानून तो केवल प्रतीकात्मक ही है और इन कानूनों का राज्यों के द्वारा कोई भी प्रयास क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जा रहा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एक ऐतिहासिक कानून था। इस कानून ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया एवं अपने साथ की जाने वाली हिंसा का विरोध करने के लिए प्रेरित किया, किंतु इस कानून का भी

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। समस्या के निवारण को सुलभ बनाने के लिए जिन अधिकारियों के पद का गठन किया गया उनकी विशेषज्ञता और प्रशिक्षण को लेकर अस्पष्टता का भाव था। महिलाओं को लैंगिक हिंसा से बचने हेतु अथवा बाल विवाह के निषेध हेतु 2006 में 'बाल विवाह निषेध कानून' आया इस कानून के अंतर्गत बाल विवाह को केवल शून्य करार किया जा सकता है भले ही बाल विवाह को करने में अभिभावक या कोई भी वयस्क जानबूझकर इसमें शामिल रहा हो और वह दंड का भागी भी हो, इस विवाह को शून्य करार देने का अधिकार केवल उस लड़की को होता है जिसकी शादी की गई है। वह भी जब वह 18 साल की हो जाती है उसके 2 साल के अंदर अर्थात 20 वर्ष की आयु होने तक उसे इस विवाह को शून्य करार देना होता है। उसके पश्चात यह विवाह शून्य नहीं किया जा सकता। बाल विवाह निषेध कानून सामाजिक दबाव एवं नियम को समझने में बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा है क्योंकि केवल विधि उपाय करके ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता जब तक की कानून को सही तरीके से लागू न किया जाए।

लैंगिक हिंसा का महिलाओं पर प्रभाव– लिंग आधारित हिंसा महिलाओं के निजी और सार्वजनिक जीवन के हर आयाम को प्रभावित करती है,इसे हर जगह देखा जा सकता है। दहेज प्रताड़ना, बाल विवाह, छेड़छाड़, एसिड अटैक इत्यादि की शिकार महिला सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने लगती है। वह जल्दी किसी पर विश्वास नहीं कर पाती उसके आत्मविश्वास में कमी आने लगती है। सामाजिक जीवन में समायोजन करने में उसे अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। महिला को हर वक्त भय का अनुभव रहता है। लैंगिक हिंसा की शिकार महिला को समाज भी कलंकित समझता है और उसका बहिष्कार कर देता है। यहां तक की महिला के परिवार को भी सामाजिक परंपराओं से दूर रखने की कोशिश की जाती है जिसके कारण महिला अपने साथ हुई हिंसा को सबके सामने रखने से डरने लगती है। वह उसे छुपाने लगती है जिसका परिणाम यह होता है कि हिंसा करने वाला अपराधी खुलेआम समाज में घूमता है और इसके साथ हिंसा हुई है वह डरकर घर में रहने लगती है।

उपसंहार– लैंगिक हिंसा अथवा यौन आधारित हिंसा न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का सबब हो गई है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर बराबर का संघर्ष कर रही है। किंतु 21वीं सदी में आने के पश्चात भी महिलाओं के साथ भेदभाव, शारीरिक एवं मानसिक हिंसा इत्यादि में कमी नहीं आई है। कार्य स्थल पर बस में खेल के मैदान में घर में पार्टी में हर जगह महिला शारीरिक एवं मानसिक हिंसा का शिकार होती है। अगर हमें देश को एक आदर्श देश के रूप में प्रतिस्थापित करना है, विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर होना है तो आधी आबादी को भी वही सम्मान देना होगा जो शेष आधी आबादी को मिलता है।जब तक महिलाओं के प्रति हिंसा में कमी नहीं आएगी हमारा समाज विकास की ओर अग्रसर नहीं हो पाएगा। महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून का प्रावधान करना होगा और इस कानून के क्रियान्वयन हेतु सच्ची निष्ठा से प्रयास करना होगा। समाज को भी अपने विचारधारा में परिवर्तन लाना पड़ेगा और लैंगिक हिंसा की शिकार महिला को प्रेम पूर्वक संबल प्रदान करना पड़ेगा और जिसने उसके साथ हिंसा की है उसे सामाजिक एवं कानूनी रूप से बहिष्कृत करना होगा, तभी हमारा राष्ट्र एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर हो पाएगा।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

संदर्भ सूची–

1- www.drishitiias.com
2- www.news.un.org
3- www.wikipedia.in
4- www.google.com
5- www.hindikidunia.com
6- www.hindi.feminismundia.com
7- www.orfonline.org
8- www.knowledgeocean.in